भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 729
गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

ग्रामीण युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी

729# श्रीमती कान्ता कर्दमः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई रोजगार मेला आयोजित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष से अब तक के दौरान अब तक आयोजित रोजगार मेलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2021-22 के दौरान 10.6% की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान कम होकर 8.0% हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2021-22 के दौरान 3.2% की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान कम होकर 2.4% हो गई है।

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों से गिरावट की प्रवृत्ति है।

सरकार, विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी खोजना और मिलान, करियर परामर्श, व्यवसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस परियोजना में करियर परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने, रोजगार मेले आयोजित करने, आउटरीच गतिविधियों आदि जैसी विभिन्न करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों

(एमसीसी) की स्थापना भी शामिल है। वर्ष 2023 के दौरान, देश भर में कुल 7,566 रोजगार मेले आयोजित किए गए। वर्ष 2023 के दौरान आयोजित रोजगार मेलों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं सहित देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से दिनांक 19.01.2024 तक, योजना के तहत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 31.01.2024 तक, 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 26.01.2024 तक 46.16 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 729 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2023 के दौरान आयोजित रोजगार मेलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य**	**रोजगार मेलों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	841
2	अरुणाचल प्रदेश	13
3	असम	78
4	बिहार	630
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ	183
7	दिल्ली	49
8	गुजरात	721
9	हरियाणा	70
10	हिमाचल प्रदेश	16
11	जम्मू एवं कश्मीर	204
12	झारखंड	414
13	कर्नाटक	335
14	केरल	103
15	मध्य प्रदेश	21
16	महाराष्ट्र	495
17	मणिपुर	15
18	मेघालय	42
19	मिजोरम	7
20	नागालैंड	18
21	ओडिशा	900
22	पुडुचेरी	50
23	पंजाब	392
24	राजस्थान	234
25	सिक्किम	14
26	तमिलनाडु	210
27	तेलंगाना	154
28	त्रिपुरा	16
29	उत्तर प्रदेश	1079
30	उत्तराखंड	65
31	पश्चिम बंगाल	196
	योग	**7566**